

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13122024-259391
SG-DL-E-13122024-259391xxxGIDHxxx
xxxGIDExxxअसाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2024/अग्रहायण 22, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 288
No. 322]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2024/ AGRAHAYANA 22, 1946	[N. C. T. D. No. 288

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2024

फा.स. 8/196/एसपीपी/2024/गृह पुलिस-II/3781-94.—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी, श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 04.10.2024 के अपने पत्र के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर मकोका अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत पुलिस थाना अपराध शाखा, नई दिल्ली एफआईआर संख्या 165/2024 के मामले में माननीय परीक्षण न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं :-

कार्य का विवरण	प्रस्तावित शुल्क
उपस्थिति शुल्क (प्रभावी)	31,000/- रुपये
सम्मेलन/परामर्श शुल्क	15,000/- रुपये
प्रारूपण शुल्क	15,000/- रुपये
लिपिकीय प्रभार	कुल बिल राशि का 10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

यश पाल, उप-सचिव (गृह-III)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 9th December, 2024

No.F. 8/196/SPP/2024/HP-II/3781-94.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor to represent the state before Ld. Trial Court in case FIR No. 165/2024 u/s 3/4 MCOC Act, P.S. Crime Branch, New Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 04.10.2024:-

Detail of work	Proposed fee
Appearance fee(effective)	Rs. 31,000/-
Conference/consultation fee	Rs. 15,000/-
Drafting Petition	Rs. 15,000/-
Clerkage Charges	10% of the total bill amount

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

YASH PAL, Dy. Secy. (Home-III)